HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 795/2026

Jagdish S/o Yadi @ Yadram, R/o Karai, Police Staiton Nadbai, District Bharatpur. (At Present Confined In Central Jail Sewar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajeev Kumar Sogarwal, Adv. Mr. Ankit Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP Mr. Hemant Kumar Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

08/05/2026

वर्तमान एकल पीठ दांडिक निगरानी याचिका पूर्व में ही विचारार्थ ग्रहण की जा चुकी है, अतः प्रकरण सम्यक अनुक्रम में सूचीबद्ध किया जावे।

In Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 212/2026

प्रार्थी–याची की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

याची–अभियुक्त को विचारण न्यायालय **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नदबई, जिला–भरतपुर** द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या **177/2010** में निर्णय दिनांक **25.05.2018** के माध्यम से धारा **323, 341, 324/34**, **325/34, 326/34** भा.दं.सं. के अपराध में बाद विचारण दोषसिद्ध कर अधिकतम तीन वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश, नदबई, जिला–भरतपुर** द्वारा दांडिक अपील संख्या **16/2025** में पारित निर्णय दिनांक **02.04.2026** के माध्यम से अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 324/34, 326/34 भा.दं.सं. में की गयी दोषसिद्धी व दण्डादेश

को अपास्त किया और धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं. में की गयी दोषसिद्धी व दण्डादेश को यथावत रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–याची का निवेदन है कि अभियुक्त वर्तमान समय में करीब डेढ माह से अभिरक्षा में होकर सजा भुगत रहा है, निगरानी याचिका में सफल होने की पूर्ण उम्मीद है, किन्तु उसके विचारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन आवेदन को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

जबकि विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन आवेदन का विरोध किया।

समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–याची द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उक्त दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी–अभियुक्त **जगदीश पुत्र यादी उर्फ यादराम** की ओर से **विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट अपराध में अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस न्यायालय में दिनांक **09.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु, **एक लाख रूपए** का बन्ध–पत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपए** की दो प्रतिभूतियां विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित **02.04.2026** के तहत कारावास की सीमा तक दिए गए **''दण्डादेश''** का क्रियान्वयन इस पुनरीक्षण याचिका के निर्णीत होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /60